

नोटिस

न्यायालय/कार्यालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़।

पत्रांक: 1815 /वि०उप०व्य०नि०फो०आ०/2019

दिनांक: 11/11/2019

श्री मदन मोहन चौबे पुत्र श्री अवधेश चौबे, साकिन मौजा-गोसाईपुर, पोस्ट-पासीपुर, तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़।.....परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-(षष्ठम्), आजमगढ़।.....विपक्षी नं० 01

अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-(द्वितीय), आजमगढ़।.....विपक्षी नं० 02

परिवादी (श्री मदन मोहन चौबे पुत्र श्री अवधेश चौबे) आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में दिनांक 25/11/2019 को इस फोरम में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विपक्षी (अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-(षष्ठम्), आजमगढ़। को इस संबंध में विद्युत शिकायत के संबंध में स्वयं या किसी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25/11/2019 को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से अपना पक्ष इस फोरम में प्रस्तुत करें। अन्यथा उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 11.11.2019 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

संलग्नक:- परिवाद-पत्र की फोटो कापी

दिनांक: 11/11/2019

Ran copy
Ran copy

o/c



उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,
आजमगढ़ (उ०प्र०)।